

वित्त वर्ष 2018-2019 (मूल्यांकन वर्ष 2019-2020) के लिए 3 सीएल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए जाँच सूची

क्र.सं.	विवरण	(√)
1	अनुलग्नक-1 के साथ-साथ परिशिष्ट-1 और परिशिष्ट-2, खंड-ग का प्रस्तुतीकरण (डीएसआईआर के संशोधित दिशा-निर्देशों की पृष्ठ सं. 26-27 के अनुसार)	
2	प्रत्येक आर एंड डी केंद्र के लिए अनुलग्नक-11 प्रस्तुत करना और यदि एक से अधिक आर एंड डी केन्द्र हों तो समेकित अनुलग्नक-11 जिसमें सभी आर एंड डी केंद्रों के साथ-साथ परिशिष्ट-1 से परिशिष्ट-11 दर्शाया गया हो, प्रस्तुत करना	
3	सभी पृष्ठों पर प्रबंध निदेशक अथवा बोर्ड सदस्य के हस्ताक्षर	
4	डीएसआईआर द्वारा कंपनी को जारी 3 सीएम फॉर्म की प्रति	
5	डीएसआईआर के संशोधित फार्मेट के अनुसार व्यय का दावा करने के लिए सनदी लेखाकार प्रमाण-पत्र (डीएसआईआर के संशोधित दिशा-निर्देशों की पृष्ठ सं. 30 के अनुसार)	
6	आयकर की वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ 3 सीएलए प्रमाण-पत्र और प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करना	
7	बिजली/पानी का दावा करने के लिए सीए प्रमाण-पत्र, जो यह दावा करे कि आर एंड डी यूनिट में अलग मीटर है तथा विद्युत उपभोग का विधिवत अंकन एवं मापन किया जाता है।	
8	आर एंड डी व्यय (पताका) के वार्षिक रिपोर्ट परिलक्षण	
9	समाधान विवरण यदि वार्षिक रिपोर्ट एवं अनुलग्नक-11 विवरण में दी गई राशि में कोई अंतर हो।	
10	50,000 रु. से कम वाले शीर्षों के साथ-साथ सभी शीर्षों का पूर्ण ब्यौरा।	
11	यदि 3 सीएम विस्तार मान्यता प्रमाण-पत्र के साथ-साथ बकाया है तो फार्म 3 सीके में आवेदन करें।	
12	यदि कम्पनी के आर एंड डी केंद्र, पंजीयन कार्यालय के पते में कोई परिवर्तन हो तो दर्शाएं।	
13	मान्यता पत्र की प्रति	
14	स्थानीय आयकर पता दिया गया है या नहीं।	
15	विगत तीन वर्षों के लिए वार्षिक उत्पादन के ब्यौरा।	

नोट: सभी पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या अंकित होनी चाहिए।